

## कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

### दिशा-निर्देश

कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत गेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जि0यो0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 82/2021/1118/सैंतीस 2 2021 1(44)/2017 दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनराशि रु0 62.26 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके कम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र संख्या: 218/बजट/29(5)/अनु0-15/32/2021-22 दिनांक 30-7-2021 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रु0-62.26 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त आवंटित धनराशि का योजनान्तर्गत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये व्यय करना सुनिश्चित करें:-

- 1- शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2021 तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 30-07-2021 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- 2- योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिचय की सीमा तक ही किया जायेगा यदि जिला योजनान्तर्गत परिचय स्वीकृत नहीं है तो जिला योजना समिति से परिचय स्वीकृत कराने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जाय, अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।
- 3- आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।
- 4- मानक मद 02 में आवंटित धनराशि का व्यय प्रक्षेत्र पर रखे गये दैनिक श्रमिकों के मजदूरी के बीजकों का भुगतान किया जाय।
- 5- मानक-मद 39 में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ कय समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों आदि का कय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से कय करने हेतु गठित विशेषज्ञ कय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।
- 6- मानक मदों-40, 42 में आवंटित धनराशि से कय जाने वाली सामग्री को जेम पोटल/विभागीय मानकों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जाय।
- 7- योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक बिड/कोटेशन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।
- 8- मानक मद-43 सामग्री और सम्पूति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का कय/अथवा राशन आदि का कय किया जायेगा।
- 9- प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा गेड़ों में "इनब्रीडिंग" से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर गेड़ों का कय किया जाय। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें। यदि पैरेंट स्टाक में प्रजनन योग्य मादा/नर न हो तो उनके विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही उसके स्थान पर नया पैरेंट स्टाक (नर/मादा) का कय किया जाय। जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- मानक मद- 29 अनुसूक्ष्ण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्या:ए-2-1092/दस- 2011-24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या-17 में निहित प्रविधानों एवं निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा (गेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों/मेढा केन्द्रों के अनुसूक्ष्ण (मरम्मत) कार्य) अनुसूक्ष्ण से कराये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगमन प्राप्त कर लिया जाय। उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।
- 11- योजनान्तर्गत आवंटित की गयी धनराशि का तत्काल व्यय करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि उपरोक्त दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाय। उपरोक्त दिये गये दिशा-निर्देशों से इतर व्यय करना वित्तीय अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी।

  
(डा0एस0के0मलिक)

निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्या: 281

प0 1/9ख/गेड़ प्रजनन सुविधा/1/2020 21 दिनांक: 03/08/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
परियोजना निदेशक, बृहद गेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैरौड़ा गौमढ़ वन्दौली।

1-

.....2/-

- 2- प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय गेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि राजकीय गेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र गु0प0वि0अ0 जालौन को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रायोजना अधिकारी, सधन गेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना, मिर्जापुर/ मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशुविकित्साधिकारी मिर्जापुर को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य पशुविकित्साधिकारी, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि राजकीय गेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन हेतु आवंटित की गयी धनराशि का आहरण प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय गेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- 5- मुख्य पशुविकित्साधिकारी, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद मिर्जापुर को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) मिर्जापुर एवं प्रायोजना अधिकारी, सधन गेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना, मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- 6- मुख्य पशुविकित्साधिकारी, मथुरा, बदायूँ, मऊ, कौशाम्बी, रायबरेली, हरदोई, बांदा, सोनमद।
- 7- मुख्य पशुविकित्साधिकारी, वाराणसी/चन्दौली/भदोही (संतरविदास नगर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद वाराणसी, चन्दौली तथा भदोही को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) वाराणसी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- 8- मुख्य पशुविकित्साधिकारी, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद कौशाम्बी को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- 9- मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद प्रयागराज हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष मांग पत्र अपर निर्देशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज तथा कौशाम्बी जनपद हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशुविकित्साधिकारी, कौशाम्बी को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 10- मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद वाराणसी, चन्दौली तथा भदोही हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशुविकित्साधिकारी, वाराणसी, चन्दौली एवं भदोही को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 11- उपनिदेशक(प्रक्षेत्र)पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- 12- अपर निर्देशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद प्रयागराज को आवंटित धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (गेड़ एवं ऊन) प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- 13- मण्डलीय अपर निर्देशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आगरा, बरेली, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, मिर्जापुर।
- 14- वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय।
- 15- विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शारन, राधिका, लखनऊ।
- 16- श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय, वेबसाइट पर डालना सुनिश्चित करें।

(डा0एस0के0मलिक)

निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।